



2026/AHC:58902

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9700 वर्ष 2026

सन्नी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : दिनेश कुमार गुप्ता

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय सं. - 67

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री डी.पी.एस. चौहान, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन अपराध संख्या 031 वर्ष 2026, बीएनएस की धाराओं 103(1), 61(2), थाना मेडिकल, जिला मेरठ में विचारण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, जिसमें नामजद अभियुक्त विशु पर प्रथम सूचनादाता की बहन को प्रताड़ित करने और तत्पश्चात् उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया था। आवेदक का नाम तत्पश्चात् प्रथम सूचनादाता द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर रोपा गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि नामजद अभियुक्त विशु के अतिरिक्त, वर्तमान आवेदक भी अपनी पत्नी के साथ उक्त साजिश में शामिल है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतका के दो बच्चों के बयानों से भी यह स्पष्ट है कि मुख्य अभियुक्त रिकू ने उन्हें दिनांक 16.01.2026 को आवेदक के घर भेजा था और तत्पश्चात् दिनांक 19.01.2026 को आवेदक ने उन्हें नामजद अभियुक्त के घर के पास छोड़ा। इसके अलावा, आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधपरक सामग्री नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 04.02.2026 से जेल में बंद है। उस परिस्थिति में, जब उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.)ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया किंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और अधिभारित जेलों तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **सन्नी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से हतोत्साहित करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
 - ii. आवेदक कोई स्थगन मांगे बिना विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।
 - iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित की गई हो कि 15 दिन के भीतर प्रमाणित प्रति दाखिल की जाएगी।
10. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जमानत नीति रणनीति, संदर्भ में: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023 के आदेश, (2024) 10 एससीसी 685 के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)



मार्च 23, 2026

एस.सी.

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।